

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 1/विविध-03-13/2011- 03/20-21.य.ए. /राँची, दिनांक 02.11.2020

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड,
पो-हिन्, राँची।

द्वारा :-

आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :-

जल संसाधन विभाग अन्तर्गत विधि पोर्टल से संबंधित कार्य हेतु श्री सपन कुमार मोदक, Data Entry Operator के दिनांक 01.08.2019 से 19.03.2020 तक की अवधि का बकाया पारिश्रमिक भुगतान हेतु रु० 1,21,807/- (रुपये एक लाख इक्कीस हजार आठ सौ सात) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।

आदेश-स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग अन्तर्गत विधि पोर्टल से संबंधित कार्य हेतु एक अदद Data Entry Operator / Multi Tasking Staff के दिनांक 01.08.19 से 19.03.20 की अवधि का पारिश्रमिक भुगतान हेतु रु० 1,21,807/- (रुपये एक लाख एककीस हजार आठ सौ सात) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त Data Entry Operator / Multi Tasking Staff विभागीय विधि कोषांग में दिनांक 01.08.19 से 19.03.20 कार्य की महत्ता को ध्यान में रखते हुए कार्य लिया गया।
3. उक्त बकाये राशि का भुगतान मुख्य शीर्ष 4701 - मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष -80 - सामान्य, लघु शीर्ष 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष - 70 - ई-गवर्नेन्स विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59- अन्य व्यय (विपत्र कोड- 49S-4701-80-796-70-07-59) के अन्तर्गत विकलनीय होगा।
4. इस कार्य के लिए कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, राँची निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
5. ई-गवर्नेन्स मद में वर्ष 2020-21 के स्वीकृत बजट उपबंध में कुल रु० 150.00 लाख का बजटीय उपबंध है।
6. यह कार्य वर्ष 2019-20 में करा लिया गया है।
7. उक्त बकाये राशि के भुगतान हेतु योजना -सह- वित्त विभाग के आदेश ज्ञापांक-1643, दिनांक 02.09.2020 द्वारा राज्य योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट उपबंध के अधिकतम 25% की निकासी करने संबंधी निदेश का अनुपालन किया जायेगा।

8. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।
9. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत रहेगा।
10. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
11. बकाये भूगतान के प्रस्ताव पर माननीय मुख्य मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।
12. राज्यादेश के प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
13. प्रस्ताव पर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है।
14. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०-हिनू, राँची को संसूचित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(प्रशांत कुमार)
सचिव

पत्रांक :- 11/विविध-03-13/2011- 03/20-21 4. 61/राँची, दिनांक 02.11.2020

प्रतिलिपि :- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ/अपर मुख्य सचिव, योजना -सह- वित्त विभाग (योजना प्रभाग), झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव

पत्रांक :- 11/विविध-03-13/2011- 03/20-21 4. 61/राँची, दिनांक 02.11.2020

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव

पत्रांक :- 11/विविध-03-13/2011- 03/20-21 4. 61/राँची, दिनांक 02.11.2020

प्रतिलिपि :- सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/उप सचिव (अभि०), जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव

पत्रांक :- 11/विविध-03-13/2011- 03/20-21 40 41 /राँची, दिनांक 02.11.2020

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता (मो०), राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/ ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र०-3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु /कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव

पत्रांक :- 11/विविध-03-13/2011- 03/20-21 40 41 /राँची, दिनांक 02.11.2020

प्रतिलिपि :- मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव